तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 5278 / 2003 / जयपुर सरकार बनाम जगन्नाथ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री शिव प्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 05–08–2025

निर्णय

यह रेफरेन्स अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 28–08–2003 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बस्सी ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर को प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम टहटडा तहसील बस्सी में स्थित आराजी खसरा नं. 487 / 3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का एकीकरण खतौनी जमाबन्दी संवत् 2018 के अनुसार माफी मन्दिर श्री रामदयालजी वाके आमेर की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा कृषक के कालम में रामरख वल्द देवबक्स, छीतर, सुखदेव, जमनालाल पि.रामकुवार कौम जाट का नाम दर्ज है। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत् 2023–26 बनाते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया गया है और खातेदारी माफी मन्दिर के बजाय रामरख वल्द देवबक्स, छीतर, सुखदेव, जमनालाल पि.रामकुवार जाति जाट के नाम दर्ज कर दी गई। जरिये तकासमा भूमि नामान्तरकरण संख्या 272 स्वीकार होकर उक्त आराजी की खातेदारी रामरख पुत्र देवबक्स कौम जाट सा.देह के नाम दर्ज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 5278 / 2003 / जयपुर सरकार बनाम जगन्नाथ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करते हुए वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2052–55 में भूमि रामरख पुत्र देवबक्स कौम जाट सा.देह की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार भूमि का जो हस्तान्तरण हुआ है, वह गलत है। अतः उक्त प्रविष्टियां विलोपित की जाकर वापस भूमि माफी मन्दिर के नाम लगाई जावे। अतः अप्रार्थी के नाम दर्ज भूमि को राजस्व अभिलेख में माफी मन्दिर श्री रामदयालजी वाके आमेर की खातेदारी में लगाने तथा उसके पश्चात किये गये इन्द्राजात एवं नामान्तरकरण सं. 272 व 727 आदि को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर द्वारा उक्त रेफरेंस प्रकरण स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को पुनः माफी मन्दिर श्री रामदयालजी वाके आमेर के नाम दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मण्डल में प्रेषित किया है। उप राजकीय अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी, जो बिना किसी सक्षम आदेश के अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और मंदिर मूर्ति विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर के स्थान पर विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थी के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी बाबत अप्रार्थी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 5278 / 2003 / जयपुर सरकार बनाम जगन्नाथ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नाम दर्ज इन्द्राज व नामान्तरकरण निरस्त किये जाकर विवादग्रस्त आराजी को पुनः माफी मन्दिर श्री रामदयालजी वाके आमेर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावें। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन व किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि एकीकरण खतौनी जमाबनदी सम्वत् 2018 के अनुसार विवादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री रामदयालजी वाके आमेर की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कालम में रामरख वल्द देवबक्स, छीतर, सुखदेव, जमनालाल पि.रामकुवार कौम जाट का नाम दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत् 2023–26 बनाते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी माफी मन्दिर के बजाय रामरख वल्द देवबक्स, छीतर, सुखदेव, जमनालाल पि.रामकुवार जाति जाट के नाम दर्ज कर दी गई। जरिये तकासमा भूमि नामान्तरकरण संख्या 272 स्वीकार होकर उक्त आराजी की खातेदारी रामरख पुत्र देवबक्स कौम जाट सा.देह के नाम दर्ज करते हुए वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2052–55 में भूमि रामरख पुत्र देवबक्स कौम जाट सा.देह की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार मूर्ति मंदिर की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एंव राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के मंदिर मूर्ति की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी गई, जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 5278 / 2003 / जयपुर सरकार बनाम जगन्नाथ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व विधि में मूर्ति मंदिर को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। अतः विवादग्रस्त आराजी अप्रार्थी के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत दर्ज होने से निरस्तनीय है।

अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 487/3 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी के नाम से हटायी जाकर उक्त आराजी को पुनः माफी मन्दिर श्री रामदयालजी वाके आमेर के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य